<u>अप्रतिवेद्य</u>

<u>भारत का सर्वोच्च न्यायालय</u>

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं 3489/2020

[एसएलपी (सी) संख्या 95/2020से उत्पन्न]

राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लि. ...अपीलकर्ता

बनाम

पीयूष कांत शर्मा और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>आदेश</u>

एम. आर. शाह, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1924/2019में राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित 23.09.2019 के आक्षेपित अंतरिम आदेश से असंतुष्ट और व्यथित महसूस करते हुए, मूल प्रत्यर्थी-राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. यह कि इसमें प्रत्यर्थी नं. 1को संविदा के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी नं. 1 मूल याचिकाकर्ता ने नियमित वेतनमान प्रदान करने और अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर रिट याचिका दायर की कि वह पिछले तीन वर्षों से अपीलकर्ता निगम में कार्य कर रहा है। अपीलकर्ता निगम की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रत्यर्थी नं. 1को अपीलकर्ता निगम द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था और प्रत्यर्थी नं. 1और अपीलकर्ता निगम के बीच कोई नियोक्ता और कर्मचारी संबंध नहीं था। अपीलकर्ता निगम की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता को मेसर्स सहारा सुप्रीम सिक्योरिटी सर्विस, जयपुर द्वारा काम पर रखा गया था। अपीलकर्ता निगम की ओर से यह भी मामला था कि अपीलकर्ता निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई नियमित स्वीकृत पद भी नहीं था। पूर्वोक्त रिट याचिका लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता निगम द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटरों आदि को काम पर रखने के लिए एक और ई-निविदा जारी की गई थी और 12 महीने की अवधि के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों और अन्य पदों पर भर्ती के लिए एक फर्म, मैसर्स रक्षक सिक्योरिटी (पी) लिमिटेड को अनुबंध दिया गया था। इसके बाद, 23.09.2019 के आक्षेपित अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता निगम को मूल रिट याचिकाकर्ता के स्थान पर नए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करने से रोक दिया है।

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित अंतरिम आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रत्यर्थी नं. 1निगम ने वर्तमान अपील दायर की है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

5.1 मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किअन्य समान स्थिति वाले कम्प्युटरऑपरेटरों की सेवाएँ जारी रखी गई थी और कम्प्युटर ऑपरेटर की आवश्यकता थी और इसलिए, उच्च न्यायालय आक्षेपित अंतरिम आदेश पारित करना न्यायोचित है.

5.2 दूसरी ओर, अपीलकर्ता निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि आक्षेपित अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है। यह कहा गया है कि वास्तव में मूल रिट याचिकाकर्ता एक ठेकेदार का कर्मचारी था और मूल रिट याचिकाकर्ता और अपीलकर्ता निगम के बीच कोई नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं था। यह तर्क दिया गया है कि यहां तक कि अपीलकर्ता निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई नियमित स्वीकृत पद नहीं है और इसलिए, अपीलकर्ता निगम ने कंप्यूटर ऑपरेटर

आदि की सेवाएं प्रदान करने के लिए ठेकेदार को कार्य आदेश दिया, उच्च न्यायालय को ऐसा अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।

6. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारे मत में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता निगम को मूल रिट याचिकाकर्ताओं के स्थान पर संविदा कर्मचारियों के नए समूह की नियुक्ति करने से रोकने वाला ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है। आक्षेपित अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी कारण नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय इस तथ्य को समझने और इस पर विचार करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता निगम के अनुसार, अपीलकर्ता निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई नियमित स्वीकृत पद नहीं था और मूल रिट याचिकाकर्ता और अपीलकर्ता निगम के बीच कोई नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं था और मूल रिट याचिकाकर्ता संविदा के आधार पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी था और उसने संविदा के आधार पर अपीलकर्ता निगम के साथ काम किया था। चूंकि रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए हम गुणावगुण के आधार पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि, हमारी राय है कि इसमें ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को इस तरह का अंतरिम आदेश पारित

नहीं करना चाहिए था। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित अंतरिम आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों से, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता निगम को मूल रिट याचिकाकर्ताओं के स्थान पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति से रोकने के लिए एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1924/2019में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित अंतरिम आदेश को रद्द किया जाता है।

खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

न्यायाधीश (अशोक भूषण)

न्यायाधीश (आर. सुभाष रेड्डी)

न्यायाधीश (एम. आर. शाह)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2020

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।